न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2022 (रा.प्रा.प.) **(GCMS 2022/442)**	**30.11.2022**	**19.09.2023**

अनवान

1. घनश्याम पिता कचरू उर्फ मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. हीरालाल पिता कचरू उर्फ मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. पूरणमल पिता कचरू उर्फ मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. गुड्डीबाई पत्नी हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. कन्हैयालाल पिता भैरूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शान्तिलाल पिता लाभचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. श्रीमती लीला बाई पत्नी शान्तिलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	छोगालाल जाट	प्रार्थीगण
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 3
	अनुपस्थित	अप्रार्थी संख्या 1, 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970
मिसल संख्या 589/2021 दिनांक 08.12.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के तहत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खिलाफ अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को किया गया भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण का काफी पुराना कब्जा हैं जिसकी कोई जांच पडताल नहीं थी तथा प्रार्थीगण धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत जुर्माना जमा करवाते चले रहे है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी। विपक्षीगण संख्या 2 ने अपने प्रार्थना–पत्र में हस्ताक्षर अंकित नहीं किये है आवेदन फॉर्म में विपक्षी संख्या 1 ने हस्ताक्षर किये है ग्राम बांगेडा घाटा में विपक्षीगण के नाम पर आराजी मुताबिक प्रार्थना–पत्र दर्ज अभिलिखित है। उक्त भूमि में पटवारी रिपोर्ट अनुसार 1.61 हैक्टेयर भूमि दर्ज बतायी। विपक्षी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पास काफी भूमि पूर्व में है तथा भूमिहीन नहीं होते हुए एवं आवंटन की पात्रता नहीं रखते हुए नियमों के विपरित आवंटन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना–पत्र पर रिपोर्ट की गई एवं दिनांक 11.11.2021 को ही विपक्षीगण को आवंटन कर दी गई। आवंटन के स्थान एवं आवंटन तिथि घोषित किये बिना ही आवंटन प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 बांगेडा घाटा ग्राम में कर दिया जो नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आराजी नम्बर 1156 रकबा 1.92 व आराजी नम्बर 1403 रकबा 0.32 हैक्टेयर गांव की मंगरी की जमीन है और बांगेडा घाटा में मवेशियों की संख्या संख्या 2,000 से अधिक है एवं मगरी कम है। इस कारण आराजी नम्बर 1137 पर मवेशी चराये जाते है और आज दिन तक मवेशियों चरते आ रहे है। विपक्षीगण का कब्जा नहीं है और न कोई फसल बोई है इस कारण भी आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षीगण सद्‌भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान बांगेडा घाटा की न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया और मवेशी चरने की जगह से आवंटन कर दी गई। इस कारण यह आवंटन निरस्त योग्य है। अतः में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/15 दिनांक 05.01.2023 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 589/2021 दिनांक 08.12.2021 को प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 19.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना–पत्र का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस प्रार्थना–पत्र हेतु निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में बहस पत्रावली सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी। विपक्षीगण संख्या 2 ने अपने प्रार्थना–पत्र में हस्ताक्षर अंकित नहीं किये है आवेदन फॉर्म में विपक्षी संख्या 1 ने हस्ताक्षर किये है ग्राम बांगेडा घाटा में विपक्षीगण के नाम पर आराजी मुताबिक प्रार्थना–पत्र दर्ज अभिलिखित है। उक्त भूमि में पटवारी रिपोर्ट अनुसार 1.61 हैक्टेयर भूमि दर्ज बतायी। विपक्षी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पास काफी भूमि पूर्व में है तथा भूमिहीन नहीं होते हुए एवं आवंटन की पात्रता नहीं रखते हुए नियमों के विपरित आवंटन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना–पत्र पर रिपोर्ट की गई एवं दिनांक 11.11.2021 को ही विपक्षीगण को आवंटन कर दी गई।

इस पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 (राजकीय अधिवक्ता) ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की जाकर विधिवत आवंटन किया गया है एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के निवेदन के साथ ही अपनी बहस पत्रावली को समाप्त किया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि आवंटन के स्थान एवं आवंटन तिथि घोषित किये बिना ही आवंटन प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 बांगेडा घाटा ग्राम में कर दिया जो नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आराजी नम्बर 1156 रकबा 1.92 व आराजी नम्बर 1403 रकबा 0.32 हैक्टेयर गांव की मंगरी की जमीन है और बांगेडा घाटा में मवेशियों की संख्या संख्या 2,000 से अधिक है एवं मगरी कम है। इस कारण आराजी नम्बर 1137 पर मवेशी चराये जाते है और आज दिन तक मवेशियों चरते आ रहे है। विपक्षीगण का कब्जा नहीं है और न कोई फसल बोई है इस कारण भी आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान बांगेडा घाटा की न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया और मवेशी चरने की जगह से आवंटन कर दी गई। इस कारण यह आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 व 2 आवंटन की पात्रता नहीं रखते है। आवंटन नियमों का खुला उल्लघंन द्वारा आवंटन किया गया है। सार्वजनिक उपयोग करी भूमि का आवंटन अवैध एवं प्रभाव शून्य है एवं गैर कानूनी है। जनहित में विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है जो सार्वजनिक हित में है। आवंटन आदेश नियमों के विरूद्ध है तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू–आवंटन के नियमों का उल्लघंन कर भू–आवंटन किया गया है। अतः में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तर्क के समर्थन में **RRD** 1982 पेज संख्या 237, **RRD** 1981 पेज संख्या 644, **RRD** 1983 पेज संख्या 53, **RRD** 1983 पेज संख्या 319 एवं **RRD** 1989 पेज संख्या 654 न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं प्रार्थीगण/निगराकार का प्रार्थना स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);

(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;

(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights after the expiry of 10 years provided the allottee fulfills during this period the terms and conditions of

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

allotment until Khatedari rights are conferred. The allottee shall have all the rights and be subjected to all liabilities of a Gair Khatedar tenant under the Tenancy Act:

[Provided also that the allotment of land may be cancelled at any stage by the Collector before the expiry of a period of 10 years, if the land is required for public purpose:

[Provided further the no such order to the prejudice of such person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.]

(2) Rent at the sanctioned rent rate applicable to the land, or if the land applied for and allotted is unassessed, at the lowest class of Barani land in the village for irrigated land at the Chahi or Nehri rates, as the case may be. for Chahi or Nehri irrigated lands of the village shall be payable from the first year of allotment.

(3) The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year- of allotment and the remaining area in the second year:Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

(5) The allottee shall pay to the State Government the price of the walls and permanent, structures if any, existing on the land, as also the price of trees standing on the land at rates prescribed by rules made under section 80 and 81 of the Tenancy Act.

(6) Before acquisition of Khatedari rights the allottee shall not construct any permanent structures or buildings other than a tank, well or dwelling a house within the meaning of an "improvement" as defined by clause (19) of section 5 of the Tenancy Act.

(7) In case of land situated within a radius of 10 miles of Jaipur City the allottee shall also pay the rate of Fifteen rupees and 25 paisa per hi glia:

Provided that, no such price shall be charged if the number of trees standing in a bigha of land is less than five.

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-

(a) it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilised:

(b) it is sub let or transferred in contravention of the provision of Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants:

(c) it is found that the allottee was not a [landless agriculturist];

(d) the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent: or

(e) the allottee makes construction on the land in contravention of the allotment rules.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[(9) In case the land allotted in grass land or subject to erosion, the allottee shall have to undertake the work of soil conservation as and when directed by an officer of the Agriculture Department authorised in this behalf.]

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई थी तथा आवंटन के वक्त आवंटन हेतु विधिवत कौरम भी नहीं हुई थी तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटित भूमि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आज भी उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। जबकि विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किया गया है, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है। इसके साथ ही प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड किये जाने से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की और से प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत उद्घोषणा के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही विपक्षीगण द्वारा आवंटन हेतु आवदेन पत्र पर विपक्षी संख्या 2 के संबंध में कोई भी कथन/रिपोर्ट/हस्ताक्षर आवेदन में अंकित नहीं है। विपक्षी ने कब्जा एवं काश्त नहीं की है, यह तथ्य किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हो पाया है। इसके साथ ही प्रथम दृष्ट्या तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का भी प्रमाणित नहीं है। यदि कब्जा प्रार्थीगण का माना भी जाये तो प्रार्थीगण अतिचारी की श्रेणी में आता है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 589/2021 दिनांक 08.12.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थीगण शान्तिलाल पिता लाभचन्द जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा व श्रीमती लीला बाई पत्नी शान्तिलाल जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण घनश्याम पिता कचरू उर्फ मांगीलाल जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा वगैराह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता हैं एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 589/2021 निर्णय दिनांक 08.12.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 589/2021 दिनांक 08.12.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official